न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या —26 / 2016

उनवान

वादी

1 श्रीमती प्रेमकंवर पुत्री सबलसिंह पत्नी भूरसिंह जाति राजपुत निवासी तिबनीयार तहसील गडरारोड।

प्रतिवादी

1. लिछमण सिंह पुत्र देरावरसिंह के कायम मुकाम
   1/1 कैलाश कंवर पुत्री लिछमणसिंह
2. गुलाबसिंह पुत्र देरावरसिंह
3. कमलसिंह पुत्र देरावरसिंह
4. प्रागसिंह पुत्र देरावरसिंह
5. जवारसिंह पुत्र रतनसिंह
6. लालसिंह उर्फ चन्द्रवीरसिंह पुत्र रतनसिंह
7. प्रेमकंवर पत्नि रतनसिंह
8. छुगसिंह पुत्र कुंपसिंह
9. तनेसिंह पुत्र कुंपसिंह
10. बाईराज कंवर पत्नि कुपंसिंह
11. गोपालसिंह पुत्र नारायणसिंह
12. मोरकंवर पत्नि नारायणसिंह
13. कमलाकवंर पत्नि चैनसिंह जाति राजपुत निवासी भंवरलाई
14. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक सियाणी

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,91,40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 04.12.2024

राजस्व वाद संख्या 26 / 2016

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज सबलसिंह, भवरसिंह, बलवन्तसिंह व उनके भतीज कुंपसिंह वल्द माधोदानसिंह व कुशलसिंह पुत्र बगतसिंह से पर्चा लगान खसरा संख्या 56 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा व खेत खसरा संख्या 58 रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा मौजा भंवरलाई में आया हुआ है। वादीनी के पिता सबलसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में चलता आया है। संवत 2029 से 2031 की जमाबन्दी में लिपिकीय त्रृटि की वजह से वादिनी के पिता का नाम सबलसिंह का नाम हटा दिया गया। जिसका ज्ञान ततसमय वादीनी के पिता को नहीं हो सका तथा वादिनी के पिता का वादग्रस्त खेतों में अपने 1/5 हिस्से पर काबिज थे एवं इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा वादीनी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद वादीनी व उसकी माता अपने पिता के 1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज हुई एं काश्त करने लगी। तथा वादीनी की माता का स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त खेतों के 1/5 हिस्से पर वादीनी का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। इस कारण वादिनी वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषणा हेतु यह वाद दिनांक 21.06.2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सहायक कलक्टर
रामसर
5/12/24

वाद दायर कर पक्षकारान को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1,2,5,6,7 की और से इकबालिया जवाब प्राप्त। प्रतिवादीगण संख्या 3.4. 8 से 13 की और से जवाब प्रस्तुत नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब का अवसर बंद किया गया। वादीनी द्वारा वादी साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

अतः पत्रावली का अवलोकन समस्त दस्तावेजों तथा इकबालिया जवाब के अध्ययन के आधार पर वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा भंवरलाई के खसरा संख्या 56 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा व खेत खसरा संख्या 58 रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा में वादीनी को 1/5 हिस्से की सहखातेदार घोषित की जाती है।

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लटठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करें। खर्च पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें। तदनूसार डिगरी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर
रामसर

सहायक कलक्टर
रामसर

दिनांक : 4/12/2024

कमांक : रीडर/2024/3814-16

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार रामसर
2. वादी श्रीमती प्रेमकंवर पुत्री सबलसिंह पत्नी भूरसिंह जाति राजपुत निवासी तिबनीयार तहसील गडरारोड़।
3. प्रतिवादी लिछमण सिंह पुत्र देरावरसिंह वगेराह।

सहायक कलक्टर
रामसर

सहायक कलक्टर
रामसर

सहायक कलक्टर
रामसर (बाड़मेर)